ग्राम पंचायत खैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

1 (क) प्रस्तावनाः-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः-

प्रधानः-

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री पवन धीमान	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री बलजीत सिंह रांगड़ा	23.01.16 से लगातार

सचिवः-

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री खुशी राम	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः-

ग्राम पंचायत खैरी, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	0.03
2	4.3	बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना	2.51
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	15.97
4	7	निर्माण आंगनवाड़ी भवन” के निर्माण कार्य में सीमेंट की सही मात्रा का प्रयोग न करना	-
5	9	वर्ष 2015-16 में विभिन्न निर्माण सामग्री का	-

क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के
फलस्वरूप हानि

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत खैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 18.04.17 से 21.04.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	08/2014
2015-16	03/2016	06/2015
2016-17	03/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत खैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 345 दिनांक 21.04.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा ड्राफ्ट संख्या 056747 (PNB) दिनांक 24.04.17 द्वारा ₹7200/- से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत खैरी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत खैरी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	325518	44914	370432	37424	333008
2015-16	333008	23851	356859	24265	332594
2016-17	332594	33954	366548	33354	333194

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत खैरी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	788944	1931178	2720122	1863896	856226
2015-16	856226	1765623	2621849	1498813	1123036
2016-17	1123036	2588546	3711582	2114464	1597118

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

स्व स्त्रौत:-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹333194/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1597118/-

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹1926865/-

हस्तगत राशि : ₹675/-

अन्तर की राशि : ₹2772/-

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN. (B) KCCB-63291	3269.00
GEN. (A) KCCB-05079	16458.00
VKVNY, PNB-65522	75869.00
SDP, PNB-63649	94884.00
SBM, PNB-72285	3820.00
SBM, HDFC-93671	40196.00
TSC, PNB-50122	356.00
SCSP, PNB-63108	5340.00
MPLAD, PNB-62613	69325.00
GEN-B, PNB-40286	232967.00
GEN-A, PNB-56320	373475.00
IAY, PNB-49825	0
MNREGA, PNB-35433	0
13th FC, PNB-40471	364782.00
14th FC, PNB-72294	646124.00
कुल राशि	**1926865.00**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के परिणामस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹0.03 लाख का अन्तर:-

ग्राम पंचायत खैरी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तिम शेषों में ₹2772 का अन्तर है जिसका विस्तृत विवरण पैरा 4.1 में दिया गया है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 ₹2.51 लाख का रोकड़ वही में लेखांकन न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत के बैंक खाता संख्या PNB-41624 में दिनांक 31.03.17 को ₹ 250560/- जमा थे लेकिन इस खाते का रख-रखाब रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख-रखाब के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस खाते को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख-रखाब रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इसमे जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹530/- की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹530/- शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹530/- की वसूली शेष थी।

1 गृहकर:-

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	19783	19360	39143	39143	0
2015-16	0	20610	20610	20230	380
2016-17	380	22050	22430	21900	530

2 भू-राजस्व की वसूली न करना:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6 अनुदान ₹15.97 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1597118/- उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 आंगनवाड़ी भवन" के निर्माण कार्य में सीमेंट की सही मात्रा का प्रयोग न करना :-

माप पुस्तिका 5371 पृष्ठ 12-70 में कार्य "निर्माण आंगनवाड़ी भवन" के परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सीमेंट की खपत अपेक्षित थी :

माप पुस्तिका/पृष्ठ	मद का नाम व निष्पादित मात्रा	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा
5371/12	P/L C:C 1:6:12, 1.73 CUM	1.73 X 2.20 = 3.80 बैग
5371/15	P/L C:C 1:1.5:3, 2.22 CUM	2.22 X 8 = 17.76 बैग
5371/16	P/L C:C 1:6:12, 1.07 CUM	1.07 X 2.20 = 2.35 बैग
5371/16	SR Masonary 1:6, 1.02 CUM	1.02 X 1.50 = 1.53 बैग
5371/18	P/L C:C 1:1.5:3, 1.38 CUM	1.38 X 8 = 11.04 बैग
5371/20	P/L C:C 1:6:12, 5.52 CUM	5.52 X 2.20 = 12.14 बैग
5371/21	P/L C:C 1:1.5:3, 1.14 CUM	1.14 X 8 = 9.12 बैग
5371/40	P/L C:C 1:1.5:3, 7.04 CUM	7.04 X 8 = 56.32 बैग
5371/49	Brick work 1:6, 9.80 CUM	9.80 X 1.20 = 11.76 बैग
5371/51	P/L C:C 1:1.5:3, 0.24 CUM	0.24 X 8 = 1.92 बैग
5371/51	Half brick masonary 1:4, 11.94 CUM	11.94 X 2.128/10 =2.54 बैग
5371/51	20mm cement plaster 1:6, 50 m^2	50 X 1.12/10 = 5.60 बैग
5371/67	P/L C:C 1:3:6, 7.57 CUM	7.57 X 4.40 = 33.31 बैग
5371/68	P/L C:C 1:1.5:3, 0.35 CUM	0.35 X 8 = 2.80 बैग
5371/68	P/L C:C 1:2:4, 21.53 CUM	21.53 X 3/10 = 6.459 बैग
5371/70	Tile Work 1:3, 10.95 CUM	10.95 X 0.213 = 2.33 बैग
	कुल सीमेंट की अपेक्षित मात्रा	**181 बैग**

उक्त कार्य के वही खाते की जांच में पाया कि उक्त कार्य के लिए कुल 155 बैग सीमेंट क्रमशः सामान्य रोकड़ वही से 125 बैग सीमेंट (वही खाता पृष्ठ संख्या-76) एवं मनरेगा की रोकड़ वही से 30 बैग सीमेंट (वही खाता पृष्ठ संख्या-4) का प्रयोग किया गया था जबकि उक्त विवरणानुसार इस कार्य हेतु कुल 181 बैग सीमेंट अपेक्षित थे। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट, रेत व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें। अतः उक्त कार्य में निर्धारित मानकों के अनुसार सही अनुपात में सीमेंट, रेत व बजरी का प्रयोग न करने का औचित्य स्पष्ट करें।

8 **<u>10 बैग सीमेंट का सम्भावित दुरुपयोग</u> :-**

माप पुस्तिका 5371 के पृष्ठ 74 पर कार्य " निर्माण आंगनबाड़ी भवन" की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य में अवधि 11.06.14 से 15.01.15 तक कुल 125 बैग सीमेंट का उपभोग किया गया था लेकिन भण्डार रजिस्टर (सामान्य) के पृष्ठ संख्या 1 पर उक्त कार्य के लिए कुल 135 बैग सीमेंट के जारी किए गए थे । अर्थात उक्त कार्य के लिए 10 बैग सीमेंट अधिक जारी किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें ।

9 **<u>वर्ष 2015-16 में विभिन्न निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप हानि</u> :-**

जांच में पाया कि वर्ष 2015-16 में निर्माण सामग्री के क्रय हेतु प्रस्ताव संख्या-19 दिनांक 07.04.15 द्वारा मैसेर्ज पम्मी कुमार की दरें अनुमोदित की गई थी, लेकिन दिनांक 19.04.15 को मैसेर्ज पम्मी कुमार ने पंचायत को अवगत करवाया था कि उसकी नौकरी लगने के कारण वह सामग्री की आपूर्ति करने में असमर्थ था। अतः पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 23.04.15 द्वारा मैसेर्ज पम्मी कुमार की दरें रदद करके दूसरी संख्या वाले आपूर्तिकर्ता मैसेर्ज देशराज चंबयाल की दरों को अनुमोदित किया गया था, जो कि मैसेर्ज पम्मी कुमार की दरों से अधिक थी । अर्थात मैसेर्ज देश राज चंबयाल के पक्ष में निर्माण सामग्री की दरें अनुमोदित करते समय पूर्व में अनुमोदित दरों को नजरन्दाज किया गया था, जिससे वर्ष 2015-16 में निर्माण सामग्री का क्रय अधिक दरों पर करके पंचायत निधि को हानि पहुंचाई गई थी जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें। अनुमोदित दरों का विवरण निम्नलिखित है :-

निर्माण सामग्री	**मैसर्ज पम्मी कुमार की विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दरें, जो कि रदद कर दी गई थी । (per cubic feet)**			**मैसर्ज देश राज चंबयाल की विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दरें । (per cubic feet)**		
	खैरी वार्ड	**थाती लोहिया**	**थाती गुडराल वार्ड**	**खैरी वार्ड**	**थाती लोहिया**	**थाती गुडराल**

		वार्ड			वार्ड	वार्ड
बजरी	10/-	11/-	13/-	10.50/-	12/-	13/-
रेत	10/-	11/-	13/-	10.50/-	12/-	13/-
पत्थर	10/-	11/-	13/-	10.50/-	12/-	13/-
क्रशर 10mm	24.50/-	25.70/-	26.80/-	25/-	26/-	29/-
क्रशर 20mm	24.50/-	25.70/-	26.80/-	25/-	26/-	29/-
क्रशर 40mm	22.50/-	23.62/-	24.70/-	23/-	24/-	27/-

10 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना** :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

11 **प्रत्यक्ष सत्यापन** :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

12 **लघु आपति विवरणिका** :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष**:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(6)11/2017–खण्ड–1–4328–4331 दिनाँक 17–07–2017 शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत खैरी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046